[To be published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Training Division

Notification

New Delhi, the June, 2015

G.S.R...- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Office Establishment Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the posts of Staff Car Driver, Machine Operator (Senior) and Carpenter, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Machine Operator (Senior) and Carpenter, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie Staff Car Driver (Ordinary Grade), Machine Operator (Senior) and Carpenter, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.- The number of the posts, their classification and the pay band and the grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or Non-selection post	Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Staff Car Driver. (Ordinary Grade)	5* (2015) (*Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band -1 Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 1900.	Selection	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In the case of appointments to be made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be in each case, the last date upto which the employment exchange are asked to submit the names.	Essential: (i) Possessing a valid driving license for motor cars. (ii) Experience of driving a motor car for at least three years.; and (iii) Pass in 10th Standard from a recognised Board. Desirable: Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation grades from which promotion/deputation to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ re-employment	**Deputation/Absorption:** From amongst the regular Despatch Rider (Group C) and Group C employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1800 in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie who possesses valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of.-** 1. Deputy Director (Admin.), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, – Chairman 2. Deputy Director (Estate), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration – Member 3. Deputy Director/Assistant Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Machine Operator (Senior)	03* (2015) (*Subject to variation dependent on work load)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1900/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation	**Promotion:** Multi Tasking Staff with three years regular service in the respective grade. **Deputation :** Officers of the Central Government:- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in the PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1800/-; and having working experience in operating Offset Machines or other office appliances. **Note 1.**- The period of deputation including the period of deputation in other ex-cadre post preceding this appointment in the same or some other organization shall not ordinary exceed three years. (The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.) **Note 2.**- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an official prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.	Group 'C' Departmental Promotion committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Chairman 2. Deputy Director Administration, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Carpenter	01* (2015) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Departmental Candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note2: In the case of appointments to be made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be in each case, the last date upto which the employment exchange are asked to submit the names.	**Essential:** (i) Must have passed Matriculation from a recognised Board (ii)Carpenter Certificate from Industrial Training Institutes or Industrial Training Centre's or National Council for Training in Vocational Trades or Defence Trade Certificate, with three years experience; or Passed class 2 course for Carpenter as laid down in the Defence Service Regulations (Qualification Regulation) for Soldiers. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note1:- Vacancies caused by the incumbent being away on study leave or long illness or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in the PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1800/-; and having qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). Note.2:- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion committee (for considering promotion) consisting of.- 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration- Chairman 2. Deputy Director Administration, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member	Not applicable

[No. T-21011/2/2014-Academy Desk]

(O.P. Chawla)
Under Secretary to Government of India
Tel:011-26194167

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) मे प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

प्रशिक्षण प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2015

सा.का.नि. ....-- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापन समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राईवर, मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ) और बढ़ई के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्टाफ कार ड्राईवर, मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ) और बढ़ई के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्टाफ कार ड्राईवर, , मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ) और बढ़ई भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे|

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन तथा वेतनमान - उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि -भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है|

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां व उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी|

6. व्यावृति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी)	*5 (2015) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1900 रूपये	चयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1:– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण 2: – रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	आवश्यक: (1) मोटर कार के विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो. (2) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । (3) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो । वांछनीय: होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2–अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन ।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन : लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में वेतन बैंड 5200–20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1800 रूपये के ऐसे नियमित सवार हरकारा जो मोटर कारों के ड्राईविंग की सक्षमता के निर्धारण हेतु ड्राईविंग परीक्षण के आधार पर विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हैं जिसके न हो सकने पर ऐसे कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन बैंड – 5200–20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1800 रूपये पर नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए हैं तथा स्तंभ (7) के अधीन वर्णित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हैं । भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है : तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. उप निदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (संपदा), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, –अध्यक्ष –सदस्य 3. उपनिदेशक या सहायक निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, –अध्यक्ष –सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ)	*3 (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1900 रूपये	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति : बहुकार्य कर्मचारिवृन्द जिनकी अपनी श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिनकी वेतन बैंड–1 5200–20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1800 रूपये पर तीन वर्ष की नियमित सेवा है ; और जो आफसेट मशीन या अन्य कार्यालय साधित्रों के प्रचालन का कार्यसाधक अनुभव रखते है । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया हो और वहां यह लाभ केवल उस पर पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी –सदस्य 3. उपनिदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी –सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. काष्ठकार	01* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1900 रूपये	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अनधिक । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1:– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) टिप्पण 2 :– रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों दशा में प्रत्येक मामले में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	आवश्यकः (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अवश्य रखता हो, (2) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक ट्रेड प्रशिक्षण परिषद से काष्ठकार प्रमाण पत्र या रक्षा ट्रेड प्रमाण पत्र के साथ तीन वर्ष का अनुभव हो ; या रक्षा सेवा विनियम (अर्हता विनियम) में सैनिकों के लिए काष्ठकार के लिए यथा अधिकयित पाठ्यक्रम वर्ग–2 पास हो । टिप्पण 1– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2–अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1 :– पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :– (1) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (2) जिनकी वेतन बैंड–1 5200–20200 रूपये सदृश + ग्रेड वेतन 1800 रूपये में नियमित सेवा है और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । टिप्पण 2–अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता ।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (प्रशा.), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी –सदस्य 3. उपनिदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी –सदस्य	लागू नहीं होता ।

फा.सं. टी–21011/2/2014–अकादमी डेस्क

(ओ.पी. चावला)
(अवर सचिव भारत सरकार)
टेलीफोन: 011–26194167